84

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध —एक/16

अवधेश कुमार ----- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती अर्चना सिंह आदि----- अनावेदक

भूल—सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

अनावेदकगंण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

1— यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1581—एक/15 में दिनांक 03.08.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से उनवान में आवेदक अवधेश कुमार सिंह के बाद ठाकुर के स्थान पर देव टंकित हो गया है, एवं आवेदक अवधेश कुमार सिंह के पिता के नाम के स्थान पर पत्नी विश्वजीत सिंह टंकित हो गया है एवं अनावेदक कमांक—1 में तीसरी लाइन में जिला टीकमगढ़ के स्थान पर जिला दतिया टंकित हो गया है।

2— यह कि, आदेश के पृष्ठ कमांक—1 के पैराग्राफ—1 के लाइन नम्बर—2 में 15—4—2015 के स्थान पर **15—4—29015** टंकित हो गया है, एवं पृष्ठ कमांक—3 के पैराग्राफ—3 के लाइन नम्बर—3 में 15—4—2015 के स्थान पर **15—4—29015** त्रुटिवश टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के उनवान में आवेदक अवधेश कुमार सिंह में देव के स्थान पर ठाकुर एवं पत्नी विश्वजीत सिंह

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9068–एक / 16 जिला –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार बावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया । 2– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 1581–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 3.8.16 में भूलवश टंकण की त्रुटि से उनवान में आवेदक अवधेश कुमार सिंह के बाद ठाकुर के स्थान पर देव टंकित हो गया है, एवं अवधेश कुमार सिंह के पिता के नाम के स्थान पर पत्नी विश्वजीत सिंह टंकित हो गया है एवं अनावेदक कमांक –1 में तीसरी लाइन में जिला टीकमगढ़ के स्थान पर जिला दतिया टंकित हो गया है। 3– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश के पृष्ठ कमांक–1 के पैराग्राफ –1 के लाइन नम्बर 2 में 15.4.15 के स्थान 15.4.29015 टंकित हो गया है, एवं पृष्ठ कमांक–3 के पैराग्राफ 3 के लाईन नम्बर–3 में 15.4.2015 के स्थान पर 15.	

4.29015 त्रुटिवश टंकित हो गया है।

2– अतः उनका आवेदन स्वीकार करते हुये उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है कि निगरानी प्रकरण कमांक 1581–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 3.8.16 में भूलवश टंकण की त्रुटि से उनवान में आवेदक अवधेश कुमार सिंह के बाद देव के स्थान पर ठाकुर पढ़ा जावे। एवं अवधेश कुमार सिंह के पिता के नाम के स्थान पर वशिष्ठ नारायण सिंह पढ़ा जावे। अनावेदक कमांक –1 में तीसरी लाइन में जिला टीकमगढ़ पढ़ा जावे।

3– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आदेश के पृष्ठ कमांक–1 के पैराग्राफ –1 के लाइन नम्बर 2 में 15.4.15 पढा जावे। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ कमांक 3 के पेराग्राफ –3 के लाईन नम्बर में 15.4.15 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी।

सदस्य